

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 23/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/122

**अनवान**

1. युसुफ मोहम्मद पिता दाउद रंगरेज, निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

**बनाम**

1. अबरार अहमद पिता मोहम्मद रफीक रंगरेज निवासी बोराणा तहसील रायपुर जि. भीलवाड़ा
2. उस्मान गनी पिता अजीज मोहम्मद रंगरेज, निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. हनीफ मोहम्मद पिता अहमद रंगरेज, निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. कुतुबुद्दीन पिता अहमद रंगरेज, निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. खाजु मोहम्मद पिता अहमद रंगरेज, निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सलीम मोहम्मद पिता मोहम्मद रंगरेज, निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. कजोड़ पिता तुलछा रेगर, निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. नानुराम पिता तुलछा रेगर, निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सुखा पिता जगु गुर्जर, निवासी गुजरोकाखेड़ा (बोराणा) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. छग्गु पिता घीसा रेगर, निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. रमजान मोहम्मद पिता मोहम्मद, निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
(वास्ते-विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी करने बाबत)

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन रंगरेज - प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 लगायत 6, 10, 11 एकपक्षीय
3. विपक्षी संख्या 7, 8 उपस्थित

**निर्णय**

दिनांक:-10.06.2025

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 929 में अंकित आराजी संख्या 1855 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 1858 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 1869 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 1870 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 1876 रकबा 0.19 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.74 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के



**सहायक कलेक्टर**  
(पता-डी.ओ. रायपुर)

साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 25.04.2025 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामील विपक्षी संख्या 1 लगायत 6 व 10, 11 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 10.06.2025 को अमल में लाई गई तथा विपक्षी संख्या 7, 8 स्वयं उपस्थित होकर पत्रावली पर पत्थरगढी कराने हेतु सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये एवं विपक्षी संख्या 9 के विरुद्ध प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है।
3. प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 929 में अंकित आराजी संख्या 1855 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 1858 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 1869 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 1870 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 1876 रकबा 0.19 है0 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 0.74 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन पेश किया है।
4. न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्वावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो का विवेचन किया। जिससे स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 929 में अंकित आराजी संख्या 1855 रकबा 0.05 है0, आराजी



  
सहायक कलेक्टर  
(राजस्व) रायपुर

संख्या 1858 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 1869 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 1870 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 1876 रकबा 0.19 है0 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 0.74 है0 भूमि स्थित है, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी के संलग्न विवादित भूमि अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगद्दी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है।

5. हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :-

धारा 111 सीमाओं के सम्बन्ध में विवादों का निपटारा-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से किए जायेंगे:

- (1) किन्हीं सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद की स्थिति में भू-अभिलेख अधिकारी जहां तक सम्भव हो वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर और यह सम्भव न हो अथवा ऐसे मानचित्र उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर ऐसे विवाद का निर्णय करेगा।
- (2) यदि इस धारा के अन्तर्गत किसी विवाद की जांच के दौरान भू-अभिलेख अधिकारी अपने आपको इस प्रकार संतुष्ट नहीं कर सके कि किस पक्ष का कब्जा है अथवा यह बतलाया जाये कि जांच के प्रारूप होने से पूर्व के तीन माय के अन्दर विधि संगत अधिवासियों को अवैधानिक रूप से बेदखल कर कब्जा प्राप्त किया गया है तो भू-प्रबन्ध अधिकारी सरसरी जांच द्वारा निश्चय करेगा कि कौन-सा पक्ष कब्जा पाने का सर्वोत्तम अधिकारी है और तदनुसार सीमा निर्धारित करेगा।

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं है, जिससे साबित होता हो कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि की सीमाओं को लेकर कोई विवाद हों, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6. उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार रायपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदन करने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आशिक स्वीकार किया जाना न्यायासंगत एवं उचित प्रतीत होता है।



  
सहायक कलेक्टर  
रायपुर, जयपुर

—: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में आवेदन-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी के सीमाज्ञान हेतु आवेदन पेश करने पर राजस्व ग्राम बोरणा पटवार हल्का बोरणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 929 में अंकित आराजी संख्या 1855 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 1858 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 1869 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 1870 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 1876 रकबा 0.19 है0 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 0.74 है0 भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाता है। वक्त कार्यवाही सम्बंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए तथा स्थगन होने की दशा में स्थगन की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिला दफतर हों।



आदेश आज दिनांक 10.06.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

  
(करुणा लाडोती)  
सहायक अधिकारी  
रायपुर तहसील, बोरणा

  
उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर तहसील, बोरणा